# जनपद शामली पुलिस

## --सोशल मीडिया सेल शामली--

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक-07.09.2025**

**थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौकी गढ़ी अब्दुल्ला खाँ मे गौ-तस्करों से हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस, व 01 गौवंश एवं पशु कटान के उपकरण बरामदः-**

आज दिनांक 06.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौकी गढी अब्दुल्ला खाँ में गौ-तस्करो के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्कर 01 गौवंश का वध करने की नियत से चौकी अब्दुल्ला खां के पीछे स्थित आम के बाग में लाये हुए है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर गौ तस्करों द्वारा फायरिंग करने पर आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त इरफान उर्फ हीरो पुत्र अशफाक निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को घायल/गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त इरफान उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, पशु कटान के उपकरण ( 02 छुरी, 01 कुल्हाड़ी, 02 रस्सी ) व 01 रास गौवंश बरामद हुआ है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी ऊन भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त इरफान उपरोक्त का साथी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त हसरत पुत्र शौकत निवासी ग्राम बुन्टा मौके से फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

**नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1. इरफान उर्फ हीरो पुत्र अशफाक निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 153/13 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 176/13 धारा ¾ यूपी गुण्डा अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 202/13 धारा 10 जी सीआरपीसी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 380/14 धारा 395/397/412 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 190/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 152/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 1/2019 धारा ¾ यूपी गुण्डा अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 10/2019 धारा 10 जी सीआरपीसी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 93/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 252/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 29/2020 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
12. मु0अ0सं0 30/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.अवैध एक तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2.एक जीवित गौवंश।
3.पशु कटान के उपकरण ( 02 छुरी, 01 कुल्हाड़ी, 02 रस्सी )।

**<u>पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना थानाभवन का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देशः-</u>**

आज दिनाँक 07.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा थाना **थानाभवन** का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने में अभिलेखों का रख-रखाव, महिला हेल्प डेस्क, कम्प्यूटर कक्ष, भोजनालय, थाने की साफ-सफाई, बंदी गृह आदि व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रांगण में साफ-सफाई एवं अनुशासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने महिला हेल्प डेस्क एवं कम्प्यूटर कक्ष में उपलब्ध सुविधाओं का भी निरीक्षण किया तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। बंदी गृह की सुरक्षा एवं भोजनालय की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु भी उन्होंने संबंधित को सचेत किया। महोदय द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों को जनसाधारण से सौम्य व्यवहार बनाए रखने, थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुनने तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सतर्क एवं संवेदनशील रहकर कार्य करने के निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक थानाभवन श्री बिजेन्द्र सिंह रावत व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

**<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसेडा में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>**

ज्ञात हो कि दिनांक 06.08.2025 को वादी श्री राजुल पुत्र फकरू निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली नें अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर स्वंय व परिवारिजन के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने व छेड़छाड़ कर धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। वादी श्री राजुल उपरोक्त द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनाँक 06.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने व छेड़छाड़ कर धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>**

1.अमजद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

**थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र द्वारा की गयी कार्यवाही में 5,500/- रुपये(शत-प्रतिशत) धनराशि वापस कराई गईः-**

ज्ञात हो आवेदक श्री अंकित कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अपने बैंक खाते से 5,500/- रुपये डेबिट हो जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 18.08.2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक को पत्राचार कर आवेदक श्री अंकित उपरोक्त के बैंक खाते में शत-प्रतिशत धनराशि 5,500/- रुपये वापस कराई गई है। आवेदक श्री अंकित द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना का आभार व्यक्त किया गया है।

**थाना झिंझाना साईबर सेवा केन्द्र टीमः-**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली

2.क0ऑ0 विवेक राठी थाना झिंझाना जनपद शामली।

**<u>थाना आदर्शमण्डी/थानाभवन/कांधला/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>**

आज दिनांक 07.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना आदर्शमण्डी/थानाभवन/कांधला/झिंझाना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>**

1.विपिन पुत्र रामबल निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.विजय कुमार पुत्र गोविन्द निवासी ग्राम भिक्की देह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.सतीश उर्फ काला पुत्र जीतन निवासी ग्राम दखोड़ी जमालपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.कविश पंवार पुत्र राजसिंह निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर कस्बा एलम थाना कांधला जनपद शामली।

5.अजय उर्फ टीटू पुत्र प्रताप निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कांधला जनपद शामली।

6.कंवरपाल पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल निवासी ग्राम हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

**<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>**